न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 14 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 24.10.2024

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल,प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद अधिकारी कार्यालय टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 अरबाज खान मैसर्स होटल शीशमहल रियांलस पम्प के पास टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 23.01.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2024 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण /जाँच हेतु संयुक्त जाँच दल के रूप में होटल शीशमहल, रियांलस पम्प के पास टोंक शहर मौके पर पहुंचे। मौके पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपूर्दगीनामा तैयार किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	376988	BPCL	14.2	16.0	16	0
2.	111626	BPCL	14.2	15.9	15.9	0
योग						0

जिला कलेक्टर
टोंक

अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 18.10.2024 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह प्रवर्तन अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण /जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में होटल शीशमहल, रियांलस पम्प के पास टोंक शहर मौके पर पहुंचे। मौके पर घरेलू सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपूर्दगीनामा तैयार किया गया। इस प्रकार मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री अरबाज खान द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया,जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा मौके पर नहीं दिये गये। अतः 2 गैस सिलेण्डर को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बुन्देल गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री रिंकू पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी हीरा चौक पुरानी टोंक की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 18.10.2024 के अनुसार मै0 अरबाज खान मैसर्स होटल शीशमहल रियांलस पम्प के पास टोंक कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

जिला कलेक्टर
टोंक

सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	376988	BPCL	14.2	16.0	16	0
2.	111626	BPCL	14.2	15.9	15.9	0
योग						0

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर अरबाज खान, रिंकू तथा मो.उमर के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी अरबाज खान, रिंकू तथा मो.उमर के हस्ताक्षर है तथा बुन्देल गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री रिंकू के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से व्यवसायिक कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)